



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: दी०द०उ०गो०वि०वि०/सम्बद्धता/2014/466
सेवा में,

दिनांक 24/3/2014

प्रबन्धक/प्राचार्य

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

विषय— महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत मनोविज्ञान, इतिहास एवं रक्षा अध्ययन अतिरिक्त विषयों में सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या शासन के पत्र संख्या सम्ब० 150/सत्तर-6-2013-2(126)/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 द्वारा महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत मनोविज्ञान, इतिहास एवं रक्षा अध्ययन अतिरिक्त विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2012-13 के परीक्षाफल के अभाव में कतिपय शर्तों के प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

उक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या-1 के अनुपालन में महाविद्यालय ने सत्र 2012-13 का परीक्षाफल प्रस्तुत किया है, परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है, जो परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित है। संदर्भित महाविद्यालय सत्र 2012-13 की परीक्षा में नकल में आरोपित नहीं है।

उपरोक्त शासन के पत्र में अंकित शर्त संख्या-1 में निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में तथा महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गयी वचनबद्धता के आलोक में महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत मनोविज्ञान, इतिहास एवं रक्षा अध्ययन अतिरिक्त विषयों में माननीय कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन दिनांक 01.07.2013 से शासन के पत्र संख्या सम्ब० 150/सत्तर-6-2013-2(126)/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 में निहित निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं कक्षा संचालन की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. संस्थान/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
4. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
5. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
7. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
8. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
9. महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

भवदीय,

(एस०के० शुक्ल)

कुलसचिव

पृष्ठांक संख्या: दी०द०उ०गो०वि०वि०/सम्बद्धता/2014 / तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
3. अधिष्ठाता, कला संकाय/ वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर।
4. उप कुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)

(एस०के० शुक्ल)

कुलसचिव